–7।

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0:–08 / अ0प्र0–01–30 / 2025 616 / पटना, दिनांक:– 20.11.25

सी0डब्लू0जे0सी0सं0–12024 / 2025 महेन्द्र शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक–20.08.2025 के आलोक में सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक–18.11.2025 को आयोजित बैठक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या–7566 दिनांक–14.07.2010 द्वारा निर्गत बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त "रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना" 2010 तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर इस संबंध में यथा निर्गत संगत संकल्पों / परिपत्रों / प्रावधानों के तहत श्री महेन्द्र शर्मा, सेवानिवृत जीप चालक को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–07 में अंकित तिथि से एवं वेतनमान में वित्तीय उन्नयन (एम0ए0सी0पी0) की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र0 सं0	कर्मी का नाम / पदनाम / कार्यालय का नाम	जन्म तिथि / सेवानिवृति की तिथि	योगदान की तिथि	सेवा सम्पुष्टि की तिथि	तृतीय एम0ए0सी0पी0 देयता की तिथि / वेतनमान	स्कीनिंग समिति का निर्णय / अनुशंसा
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री महेन्द्र शर्मा / सेवानिवृत जीप चालक / कार्य प्रमंडल, झाझा	07.01.1949/ 31.01.2009.	1. जीप चालक के पद पर योगदान की तिथि (कार्यभारित स्थापना में) दिनांक–21.12.1972 2. जीप चालक के पद पर योगदान की तिथि (नियमित स्थापना में) दिनांक–22.10.1984	–	दिनांक–01.01.2009 की तिथि से तृतीय एम0ए0सी0पी0 वेतनमान–9300–34800 / – ग्रेड पे0–4200 में देय है।	दिनांक–01.01.2009 की तिथि से तृतीय एम0ए0सी0पी0 वेतनमान–9300–34800 / – ग्रेड पे0–4200 में स्वीकृत।

2. उक्त स्वीकृत वित्तीय उन्नयन में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटियाँ / पार्थक्य पाये जाने पर उक्त कर्मी को प्रदत्त ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द / संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली / प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

3. नियंत्री पदाधिकारी वेतन निर्धारण एवं देय लाभों के भुगतान के पूर्व उनके सेवापुस्त की सम्यक् जांच कर लेंगे एवं जांचोपरान्त स्वीकृत लाभों के संबंध में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य (यथा निर्धारित सेवा अवधि में टूट, निलंबन, बर्खास्त, दंडादेश एवं अन्य मामला आदि), जो एम0ए0सी0पी0 को प्रभावित करता हो, पाया जाता है, तो नियमानुकूल अपेक्षित कार्रवाई करते हुए विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

4. उक्त कर्मी का वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन निर्धारण, रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के परिशिष्ट–01 के नियम–04 के अनुसार किया जायेगा। वेतन निर्धारण के क्रम में नियंत्री / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस बिन्दु पर पूरी तरह संतुष्ट हो ले कि उक्त नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन पूरी तरह हो रहा है।

5. पूर्व में स्वीकृत ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 को रद्द किया गया हो तो उनका वेतन निर्धारण किये जाने के पूर्व यदि यह परिलक्षित होता है कि कर्मी को अत्यधिक वेतन का भुगतान किया गया है, तो संबंधित नियंत्री पदाधिकारी नियमानुकूल अत्यधिक भुगतान की गई राशि की वसूली / समायोजन की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

18/11/2025

(सरवणन एम.)
सचिव

(Rina), Office Order

ज्ञापांकः–08/अ0प्र0–01–30/2025 11739 /पटना, दिनांकः– 20.11.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (प्रशाखा–03 ए), बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांकः–08/अ0प्र0–01–30/2025 11739 /पटना, दिनांकः– 20.11.25

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/मुख्य अभियंता–03, भागलपुर, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झाझा/प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा/लेखा प्रशाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री महेन्द्र शर्मा, सेवानिवृत जीप चालक, ग्राम–गोर्वद्धनपुर कनाप, पोस्ट–कनाप, जिला–औरंगाबाद/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव